



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-19032021-226005
CG-DL-W-19032021-226005

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 08] नई दिल्ली, मार्च 7, —मार्च 13, 2021, शनिवार/ फाल्गुन 16— फाल्गुन 22, 1942
No. 08] NEW DELHI, MARCH 7, —MARCH 13, 2021, SATURDAY/PHALGUNA 16 —PHALGUNA 22, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2021

आ. अ. 25.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है।

और यतः, 49—रायपुर नगर पश्चिम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री प्रदीप सिंह ठाकुर, जो छत्तीसगढ़ के 49—रायपुर नगर पश्चिम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री प्रदीप सिंह ठाकुर को कारण बताओ नोटिस दिनांक 2 मार्च, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 2 मार्च, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री प्रदीप सिंह ठाकुर को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री प्रदीप सिंह ठाकुर द्वारा दिनांक 5 जुलाई, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 2 सितम्बर, 2020 के पत्र सं० 8051/निर्वा./नि.प./2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 2 सितम्बर, 2020 के पत्र सं० 8051/निर्वा./नि.प./2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुरूपक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री प्रदीप सिंह ठाकुर ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री प्रदीप सिंह ठाकुर निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 49—रायपुर नगर पश्चिम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री प्रदीप सिंह ठाकुर, मकान नं० 10/886 नया मंगल बजार, गुडियारी रायपुर, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा.सं.छ.ग.—वि.स./पूर्व अनु०-1/49/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना० बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 8th March, 2021

O. N. 25.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 49-Raipur Nagar West Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, Pradeep Singh Thakur, contesting candidate of Shiv Sena from 49-Raipur Nagar West Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Raipur** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **2nd March, 2020** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, **Pradeep Singh Thakur**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **2nd March, 2020**, **Pradeep Singh Thakur**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Pradeep Singh Thakur**, on **5th July, 2020**, Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Raipur** vide his letter No.8051/निर्वा./नि.प./2020 dated 2nd September, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Raipur** vide his letter No. 8051/निर्वा./नि.प./2020 dated 2nd September, 2020 has stated that **Pradeep Singh Thakur**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Pradeep Singh Thakur**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Pradeep Singh Thakur**, resident of **H.No 10/886 Naya Mangal Bazar, Gidiyari Raipur, Chhattisgarh** and the contesting **Contesting Candidate of Shiv Sena** for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **49-Raipur Nagar West Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/49/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2021

आ. अ. 26.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, **49—रायपुर नगर पश्चिम** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रायपुर** छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **सुश्री रेखा साहू** जो छत्तीसगढ़ के **49—रायपुर नगर पश्चिम** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए सुश्री रेखा साहू को कारण बताओ नोटिस दिनांक 2 मार्च, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 2 मार्च, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री दिगम्बर जनकपुरी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस सुश्री रेखा साहू द्वारा दिनांक 2 जुलाई, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 2 सितम्बर, 2020 के पत्र सं० 8051/निर्वा./नि.प./2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 2 सितम्बर, 2020 के पत्र सं० 8051/निर्वा./नि.प./2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सुश्री रेखा साहू ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि सुश्री रेखा साहू निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 49—रायपुर नगर पश्चिम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी सुश्री रेखा साहू, ग्राम—सरोना, रायपुर, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य—क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं.छ.ग.—वि.स./पूर्व अनु०-1/49/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना० बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th March, 2021

O. N. 26.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 49-Raipur Nagar West Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, Ms. Rekha Sahu, Independent candidate from 49-Raipur Nagar West Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated 2nd March, 2020 was issued by Election

Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to , **Ms. Rekha Sahu**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **2nd March, 2020**, **Ms. Rekha Sahu**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Ms. Rekha Sahu**, on **2nd July, 2020**, Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Raipur** vide his letter No.8051/निर्वा./नि.प./2020 dated 2nd September, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Raipur** vide his letter No. 8051/निर्वा./नि.प./2020 dated 2nd September, 2020 has stated that **Ms. Rekha Sahu**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Ms. Rekha Sahu**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Ms. Rekha Sahu**, resident of Vill- **Sarona, Raipur, Chhattisgarh** and the contesting **Independent** candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **49-Raipur Nagar West Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.CG-LA/ES-I/49/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Prl. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2021

आ. अ. 27- यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, **49-रायपुर नगर पश्चिम** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रायपुर** छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री दिगम्बर जनकपुरी**, जो छत्तीसगढ़ के **49-रायपुर नगर पश्चिम** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रायपुर** जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री दिगम्बर जनकपुरी** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **2 मार्च, 2020** को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक **2 मार्च, 2020** के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री दिगम्बर जनकपुरी** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस **श्री दिगम्बर जनकपुरी** द्वारा दिनांक **16 जुलाई, 2020** को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **रायपुर** द्वारा अपने दिनांक 2 सितम्बर, 2020 के पत्र सं0 8051/निर्वा./नि.प./2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रायपुर** द्वारा अपने दिनांक 2 सितम्बर, 2020 के पत्र सं0 8051/निर्वा./नि.प./2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री दिगम्बर जनकपुरी** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री दिगम्बर जनकपुरी** निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य **49—रायपुर नगर पश्चिम** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी **श्री दिगम्बर जनकपुरी**, ग्राम—लोमव, ऋषि आश्रम, विलाईघाट, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा.सं.छ.ग.—वि.स./पूर्व अनु0-1/49/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना0 बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th March, 2021

O. N. 27 .—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **49-Raipur Nagar West** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Raipur** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Digambar Janakpuri**, Independent candidate from **49-Raipur Nagar West Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Raipur** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **2nd March, 2020** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, **Sh. Digambar Janakpuri**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 2nd March, 2020, **Sh. Digambar Janakpuri**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Digambar Janakpuri**, on 16th July, 2020, Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Raipur** vide his letter No.8051/निर्वा./नि.प./2020 dated 2nd September, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Raipur** vide his letter No. 8051/निर्वा./नि.प./2020 dated 2nd September, 2020 has stated that **Sh. Digambar Janakpuri**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Digambar Janakpuri**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Digambar Janakpuri**, resident of Vill- **Lomav Rishi Ashram, Vilaighat, Navapara, Chhattisgarh** and the contesting **Independent** candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **49-Raipur Nagar West Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/49/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Prl. Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2021

आ. अ. 28 .-भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 1 मार्च, 2021 के आदेश संख्या बिहार-लो.स./पूर्व अनु-1/02/2019 के अंग्रेजी रूपान्तरण के पैरा 8 में उल्लेखित "District Election Officer Bilaspur" के स्थान पर District Election Officer पढ़ा जाए।

[फा. सं. बिहार-लो.स./पूर्व अनु-1/02/2019]

आदेश से,

सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 9th March, 2021

O. N. 28 .-In English version of the Election Commission of India's Order No. BR-HP/ES-1/02/2019 dated 1st march, 2021, the entries "District Election Officer Bilaspur" made in Para 8. shall be read as District Election Officer

[F.No. BR-HP/ES-1/02/2019]

By Order,

SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2021

आ. अ. 29.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग त्रिपुरा राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा, श्री श्रीराम तरनीकांति, आई.ए.एस. के स्थान पर श्रीमती सौम्या गुप्ता, आई.ए.एस. (टी.आर 2004) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए त्रिपुरा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्रीमती सौम्या गुप्ता, त्रिपुरा सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगी या धारण करना समाप्त कर देंगी, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रही थी।

3. श्रीमती सौम्या गुप्ता, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, त्रिपुरा के रूप में कार्य करते हुए त्रिपुरा सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगी सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

[फा. सं. 154/TP/2020-P.Admn]

आदेश से,

बी.सी. पात्रा, सचिव

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 5th March, 2021

O. N. 29.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Tripura hereby designates Smt. Saumya Gupta, IAS, (TR:2004) as the Chief Electoral Officer for the State of Tripura with effect from the date she takes over charge and until further orders in place of Shri Sriram Taranikanti, IAS.

2. Smt. Saumya Gupta shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Tripura, which she may be holding before such assumption of office.

3. Smt. Saumya Gupta while functioning as the Chief Electoral Officer, Tripura shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Tripura except that she should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[F.No. 154/TP/2020-P.Admn.]

By Order,

B.C. PATRA, Secy.

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2021

आ. अ. 30.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग गुजरात राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा, डा. एस. मुरली कृष्ण, आई.ए.एस. के स्थान पर श्री अनुपम आनन्द, आई. ए. एस. (जी.जे.: 2000) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए गुजरात राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री अनुपम आनन्द, गुजरात सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री अनुपम आनन्द, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गुजरात के रूप में कार्य करते हुए गुजरात सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

[फा. सं. 154/GJ/2021-P.Admn.]

आदेश से,

बी.सी. पात्रा, सचिव

New Delhi, the 5th March, 2021

O. N. 30 .— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Gujarat hereby designates Shri Anupam Anand, IAS (GJ:2000) as the Chief Electoral Officer for the State of Gujarat with effect from the date he takes over charge and until further orders in place of Dr. S. Murali Krishna, IAS.

2. Shri Anupam Anand shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Gujarat, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Anupam Anand while functioning as the Chief Electoral Officer, Gujarat shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Gujarat except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[F. No. 154/GJ/2021-P. Admn.]

By Order,

B.C. PATRA, Secy.